



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



27 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 569 राँची, सोमवार,

18 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-13/2016 का० 4385--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री शारदा नन्द देव, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक -586/03, गृह जिला दरभंगा), तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार के विरुद्ध मंडल कारा, लातेहार में भारी वितीय अनियमितता बरतने, बिना आपूर्तिकर्ता से सामग्री प्राप्त किए ही अधीक्षक/सहायक कारापाल के द्वारा कुछ विपत्रों द्वारा राशि कि निकासी करने, आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सामग्रियों का दूरपयोग करने, रु० 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) की निकासी कोषागार में दिये गलत प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य प्रारंभ किये बगैर करने एवं जाँच से बचने के लिए उपस्थित नहीं होने संबंधी आरोप, जैसा कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रक-609, दिनांक 29.01.2019 द्वारा प्राप्त आरोप-पत्र प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2 अंतः श्री देव के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली को नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद द्वारा श्री देव को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री देव द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री देव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मेनसन बरवा, सहायक कारा अधीक्षक, लातेहार को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री शारदा नन्द देव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
